केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,

पिलानी (राजस्थान)

स. 3/11/85-स्पेशल दिनांक 02.11.07

<u>निविदा सूचना</u>

निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हेतु अनुभवी ठेकेदार जो कि संविदा (श्रम-विनियम एंव उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत वैध पंजीकृत लाईसैंस घारी हो) से मुहरबंद निविदाँयें आंमत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र दिनांक 06.11.07 से 26.11.07 तक 50/- का D.D निदेशक,सीरी के नाम से जमा करवाने के बाद अनुभाग अधिकारी ई-।।। से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसी निविदा प्रपत्र पर ही कार्य करने की दरें दी जानी आवश्यक है। इचछुक निविदादाता दिनांक 27.11.07 को 2.30 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय मे अपने निविदा फार्म को हस्ताक्षर सहित सील बन्द लिफाफे में जमा करवा सकते है। इसके बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। **लिफाफे पर निविदा खुलने की तिथि, समय एवं कार्य का नाम (बडे अक्षरों मे) अवश्य लिखे**। हस्ताक्षर युक्त निविदाँये उसी दिन सांय 3.30 बजे खोली जायेगी । यदि कोई निविदादाता निविदा खोलने के समय उपस्थित होना चाहे तो संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है। निविदाकर्मी यह ध्यान रखें कि इंटरनेट से डाउनलोडेड टेंडर फार्म स्वीकार नहीं होंगे।

<u>पात्रताः</u>

निविदादाता सरकारी विभागों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभागों /सार्वजनिक प्रतिष्ठानों अथवा CSIR प्रयोगशालाओं में इस प्रकार का एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखता हो । निविदादाता को इस संबंध में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रति निविदा के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायगी :-

1. PAN/TAN No. की प्रतिलिपि
2. अनुभव प्रमाण पत्र
3. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. श्रम विनियम एंव उन्मूलन अधिनियम 1970 CL(R&A)ACT 1970) के तहत वैध पंजीकृत लाइसैंस का प्रमाण पत्र
5. कर्मचारी भविष्य निधी प्रमाण पत्र
6. Rs.5000/-का बैंक डाफ्ट(EMD) की राशि।

कार्य का विवरणः

संस्थान के कमरों , प्रयोगशालाओं , शौचालयों तथा संस्थान परिसर को जोड़ने वाली समस्त सडकों और संस्थान परिसर की सफाई करना, केन्द्रीय भण्डार के पीछे स्थित गैरेज की सफाई, संस्थान परिसर के आगे व पीछे के स्थान की सफाई, जनरेटिंग शेड की सफाई।

(i) संस्थान परिसर का क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर (लगभग)

(ii) कॉलोनी में स्थित संस्थापनों का एवं होस्टल का क्षेत्र 26900 वर्ग मीटर (अनुमानित)

2. संस्थान कॉलोनी परिसर में स्थित विभिन्न संस्थापनों जैसे पावर हाउस,पानी की टंकियाँ / पंप, अतिथि गृह, आरोग्य निकेतन (डिस्पेन्सरी), जल पूर्ति टैंक, सम्पदा कार्यालय, ओपन एयर थियेटर, आक्सीडेशन पौंड, हाईड्रोजन सयंत्र, सामूदायिक केन्द्र, भटनागर व ठक्करहाल एवं गाँधी हाल तथा उनको जोड़ने वाली समस्त सड़कों की सफाई करना।

3. संस्थान परिसर एवं कॉलोनी में स्थित विभिन्न संस्थापनों के परिसर से कूड़े-कचरे को संस्थान की ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उठाकर कॉलोनी मे मंदिर के पास वाले गड़ढे में डालकर प्रतिदिन जलाना।

4. सीरी परिसर में यदि कोई जानवर या पक्षी मर जाता है तो उसे उठाकर जगंल मे दूर ले जाकर चार फुट गहरा गड़ढा खोद कर दबाना।

5. उपरलिखित कार्य संस्थान के सुरक्षा अधिकारी के देख-रेख में होंगे।

कार्य की शर्तेः

1. कूडा कचरा सडकों के किनारे तथा कूड़ेदानों मे नहीं जलाया जायेगा।

2. ठेकेदार को 5000/-रू की राशि बतौर बयाना (EMD) राशि डिमान्ड ड्राफ्ट निदेशक, सीरी पिलानी के नाम से बनवाकर निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है। कार्यादेश प्राप्त हो जाने पर यदि ठेकेदार 10 दिनों के अन्दर कार्य शुरू नहीं करता है, तो EMD जब्त कर ली जायेगी।

3. सफाई कार्य की अवधि एक वर्ष तक होगी जो कि कार्य के संतोषजनक होने पर बढाई भी जा सकती है और यदि इस अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है।

4. सफाई हेतु मजदूर एवं जरूरत के सभी औजारों की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को करनी हागी।

5. निदेशक, सीरी, पिलानी को ठेके के कार्यक्षत्र के किसी भी भाग को अथवा पूर्ण ठेके को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

6. ठेकेदार की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी। ठेके पर लगाये जाने वाले कर्मचारी ठेकेदार के नियंत्रण व देख-रेख में रहेंगे और उसे ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। साथ-साथ श्रम नियमों व अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत जैसे EPF,ESI,Service Tax तथा Work man Compensation Act जैसे अन्य देन-दारियाँ भी ठेकेदार द्वारा देय होगी।

7. निविदा का हर पृष्ठ निविदादाता द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा अंत मे कुल पृष्ठों की संख्या उल्लेखित होनी चाहिये तथा उस पर सीरी पिलानी मे जमा की हुई बयाना (EMD) धनराशि का D.D न. व तारीख भी अंकित होनी चाहिये।

8. निविदाओं को पूर्ण या आंशिक तौर पर स्वीकार अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, सीरी पिलानी के पास सुरक्षित होगा।

9. भुगतान कार्य के आधार पर प्रतिमाह बिल प्राप्त होने पर किया जायेगा तथा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर भुगतान में कटौती का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

10. ठेकेदार को एक रजिस्टर रखना होगा। जिसमे वह दैनिक कार्य का लेखा जोखा रखेगा एवं साथ ही उसे दैनिक कार्य का सत्यापन सुरक्षा अधिकारी द्वारा करवाना होगा। माह के अन्त मे उसे बिल के साथ-साथ इस रजिस्टर को भी प्रस्तुत करना होगा।

11. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी ठेकेदार के अधीन ही माने जायेगें और उनमे से किसी व्यक्ति को सीरी अथवा सी.एस.आई.आर. मे किसी पद पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

12. ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि ठेका समाप्त होने पर अपने द्वारा नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को कार्य से मुक्त कर दे तथा यह सुनिश्चित करे कि उसका कोई भी कर्मचारी सीरी / सी.एस.आई.आर. को किसी भी प्रकार का नुकसान न करे अथवा समस्या पैदा न करे तथा संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुँचाये।

13. ठेकेदार को कार्य आबंटन होने पर कार्यादेश दिया जायेगा। ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के सात दिनों के अन्दर 50/- रू मूल्य के स्टांप पेपर पर करार नामे पर हस्ताक्षर कर कार्यालय को सुर्पद करना होगा।

14. कुल कार्य दिवस सप्ताह मे 6(छः) दिन होंगे इस सम्बन्ध में कार्य की शर्तें तथा विवरण आदि अनुभाग अधिकारी ई-।।। से प्राप्त की जा सकती है।

15. अधूरी / सर्शत निविदाओं का रद्द किया जा सकता है।

16. निविदादाता प्रत्येक सफाई कर्मचारी के भविष्य निधि खाता संख्या (EPF) के भुगतान को दर्शाती हुई रसीद की प्रतिलिपी (प्रथम माह को छोड़ कर अगले माह से) लगाये । यदि इस प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नहीं लगाई गई तो उसके द्वारा प्रस्तुत बिल की कुल राशि रोक ली जायेगी। सेवा कर के जमा करने की रसीद भी लगानी आवश्यक होगी।

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपीः-

1. नगरपालिका विद्या विहार,पिलानी
2. नगरपालिका, पिलानी
3. नगरपालिका, झुँझुँनू
4. रजिस्ट्रार, बी.आई.टी.एस.,पिलानी
5. निदशक बी.टी.टी.आई.,पिलानी
6. बिरला सार्वजनिक अस्पताल, पिलानी
7. महादेव सिंधी नेत्र अस्पताल, पिलानी
8. सूचना पटट् , सीरी पिलानी
9. सीरी वेबसाइट (डाउनलोड किये जाने के लिए नहीं है केवल सूचना हेतु है)

उपयुक्त समस्त कार्यों के लिये निम्नलिखित दरें होंगीः-

1. लगाये गये मजदूरों की संख्या ....

2. न्यूनतम मजदूरीः-(राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित अकुशलकामगार) ....

3. अधिभारः-(ठेकेदार का लाभ) ....

4. ई पी एफ की दर (13.61%) ....कुल ....

5. सेवा कर की दर (12.36%) .... कुल ....

कुल रूपयेः-.......................................

अग्रिम धनराशि रू 5000/- की रसीद संख्याः........................दिनांक..............................

ठेकेदार को देय राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)